ग्राम पंचायत गलोट, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 **प्रस्तावना (क)** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत गलोट , विकास खण्ड मशोबरा , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति भावना ठाकुर	1.4.2013 से 22.1.2016
2	श्री दलीप सिंह	23.1.2016 से लगातार

सचिव

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री महिन्द्र मेहता	1.4.2013 से 1.7.2014
2	श्री रजिन्दर	2.7.2014 से 28.9.2014
3	श्री रूप राम	29.9.2014 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत गलोट के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5 (ख)	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खातों में अन्तर पाया जाना	0.07
2	9	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो की राशि का उपयोग न करना	21.25
3	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय करना	4.02
4	12	संविदाकार से संवैधानिक कटौतियां न करना	0.50
5	13	ग्राम पंचायत द्वारा किए गए दुर्विनियोजन की सम्भावना बारे	0.46
6	14	सीमेंट की ढुलाई के बारे किया गया संदेहास्पद भुगतान	0.06

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत गलोट , विकास खण्ड मशोबरा , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 8.8.2016 से 10.8.2016 व 16.8.2016 से 18.8.2016 तक ग्राम पंचायत गलोट के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/2014, 12/2014, 10/2015 तथा माह 1/2014, 6/2014, 10/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत गलोट , विकास खण्ड मशोबरा , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 14/2016 , दिनांक 18.8.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत गलोट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत गलोट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :- ग्राम पंचायत गलोट के अवधि 4/2013 से 3/2016 की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शैड परियोजना को छोड़कर) की वित्तीय स्थिति का **““परिशिष्ट-क””** के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा एवं वॉटर शैड परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके तदानुसार ही बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का अधूरा निर्माण किया गया है , जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय- व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्त शेष**
2013-14	1202243	1126598	2328841	842995	1485846
2014-15	1485846	1095114	2580960	842565	1738395
2015-16	1738395	2150249	3888644	1865209	2023435

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के अथशेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का अथशेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

(ख) अनुदान:- ग्राम पंचायत गलोट की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (मनरेगा व वॉटर शेड) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क""** के अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	155569.50	1076459.00	1232028.50	1147248.00	84780.50
2014-15	84780.50	467025.00	551805.50	551001.00	804.50
2015-16	804.50	292043.00	292847.50	291998.00	849.50

वॉटर शेड

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	10000.00	207141.00	217141.00	91104.80	126036.25
2014-15	126036.25	28610.00	154646.25	82485.40	72160.85
2015-16	72160.85	109906.00	182066.90	81668.90	100397.92

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिम शेष नहीं दर्शाये गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के अथशेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का अथशेष (**Opening Balance**) लिया गया है।

5 **रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना**

(क) ग्राम पंचायत गलोट की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैंक समाधान विवरणी

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है, जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अंत शेष में निम्न विवरणानुसार ₹**6,860** का अन्तर पाया गया। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर है , जिसका समाधान शीघ्र कर लिया जाएगा। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक खातों के अंतशेष के अन्तर का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्र0 सं०	**विवरण**		**राशि**
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		2124682.42
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- पैरा 4(क)	2023435	
	(ii) मनरेगा- पैरा 4(ख)	849.5	
	(iii) वॉटर शेड- पैरा 4(ख)	100397.92	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		2131542.42
	अन्तर		**(-) 6860**

6 रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव नियमानुसार न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता- 'क" व खाता- 'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता- 'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता- 'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है, परन्तु अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत गलोट में तीन रोकड़

बहियों का निर्माण किया गया है तथा 6 विभिन्न बैंक खाते खोले गए है , जोकि नियमों के विपरीत है। अतः रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

7 **निवेश:-** सचिव ग्राम पंचायत गलोट द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय का प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान की ₹21.25 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-क"** पर स्व-स्त्रोत तथा अनुदानों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को कुल ₹21,24,682.42 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि में से ₹20,23,435 स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान की थी, जिसमें **परिशिष्ट-ग** के अनुसार 13वें एवं 14वें वित्त आयोग की क्रमशः ₹1,64,575 व ₹1,75,016 शामिल थी तथा ₹849.50 मनरेगा योजना तथा ₹100397.92 वॉटर शेड योजना से संबन्धित थी। ग्राम पंचायत स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का अधूरा निर्माण किया गया था , जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अत: सुझाव दिया जाता है कि पंचायत निधि खाता- 'क" व खाता- 'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा

विविध अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन इत्यादि प्रस्तुत न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 में विभिन्न निर्माण कार्यों (वॉटर शेड व मनरेगा) के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी इत्यादि से संबन्धित अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं कि ए गए। इसके अतिरिक्त वॉटर शेड योजना के अन्तर्गत निष्पादित निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकायें भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गईं। सचिव द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त अभिलेख या इसकी एक प्रति पंचायत कार्यालय में रखी जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित की जा सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.02 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकतायें पूर्ण करनी अपेक्षित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-घ"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹4,01,532 के स्टोर -स्टॉक का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टोर-स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक- स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 संविदाकार से ₹0.50 लाख की संवैधानिक कटौतियां न करना

अकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु संविदाकारों को भुगतान किया गया था परन्तु इन भुगतान बिलों से नियमानुसार ₹49,607 की विभिन्न संवैधानिक कटौतियां नहीं की गयी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं०	बिल संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	बिल राशि
1	042	शून्य	जेसीबी मशीन द्वारा पडलोग घाटी से शिलरु खरियाड़ तक सड़क निर्माण	अमन ठाकुर , पनेश, शिमला	111720
2	474	2.10.15	जेसीबी मशीन द्वारा सेंट्रल जेल कंडा से शलोग तक सड़क निर्माण	अमन ठाकुर , पनेश, शिमला	99000
3	461	22.9.15	जेसीबी मशीन द्वारा खेल मैदान गलोट का निर्माण	अमन ठाकुर , पनेश, शिमला	120000
				कुल	330720
				प्रतिभूति राशि 10%	33072
				आय कर 2%	6614
				बिक्री कर 2%	6614
				लेबर सैस 1%	3307
				कुल	**49607**

इस प्रकार संविदाकार के भुगतान बिलों से संवैधानिक कटौतियां न करने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया है, जिसका उचित स्पष्टीकरण दिया जाये तथा अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता न दोहराई जाए।

13 ग्राम पंचायत द्वारा किए गए ₹0.46 लाख के दुर्विनियोजन की संभावना के बारे में

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 5.4.2014 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 (13वें वित्त आयोग से संबन्धित) द्वारा एक लैपटॉप के क्रय का निर्णय लिया गया, जिसके लिये हि०प्र० सहकारी बैंक , शाखा घनाहट्टी के खाता संख्या 1732 से चैक संख्या: 423149, दिनांक 25.4.2014 द्वारा ₹46,340 का भुगतान किया गया, परन्तु यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि वास्तव में यह भुगतान किसको किया गया था जबकि चैक बुक Folio के अनुसार उक्त चैक पूर्व सचिव ग्राम पंचायत श्री मोहिन्द्र मैहता को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त आज तक न तो कोई लैपटॉप क्रय किया गया तथा न ही उक्त राशि पंचायत खाते में जमा की गयी। इससे प्रतीत होता है कि उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया है , जोकि एक गम्भीर आपत्तीजनक मामला है। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

14 सीमेंट की ढुलाई के लिए किए गए ₹0.06 लाख के भुगतान के बारे में

चयनित माह 1/2014 में सामान्य निधि से बिल संख्या: 031 , दिनांक 23.1.2014 द्वारा श्री राकेश कुमार को 245 सीमेंट बैग की विभिन्न निर्माण, कार्य स्थलों पर वाहन द्वारा ढुलान हेतु ₹6145 का भुगतान किया गया। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त सीमेंट की खरीद का कोई भी बिल/वाउचर अभिलेख में नहीं पाया गया तथा न ही सचिव ग्राम पंचायत द्वारा इसे अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिससे ढुलान के बिल का भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

15 क्रय की गयी निर्माण सामग्री से नियमानुसार ₹0.03 लाख के Voids की कटौती न करना

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-ङ** पर उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹2738 का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

चयनित माह 1/2014 में निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं कि ए ग ए जिससे किए गये भुगतान की उचित जांच नहीं की जा सकी, जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तीजनक भी है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अभिलेख की खोज-बीन करके अंकेक्षण को जल्दी ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये:-

क्र0 सं०	**वाउचर संख्या**	**रोकड़ बही पृष्ठ**	**जिसे भुगतान किया गया**	**मद**	**भुगतान राशि (₹)**
1	66	10 (सामान्य)	मोहन आर्ट स्टुडियो	अंकित नहीं	1820
2	84	12 (सामान्य)	विभिन्न मजदूर	मस्ट्रोल सं० 1091	9660
3	47	8 (मनरेगा)	बिजली बोर्ड	बिजली बिल	315
				कुल	**11795**

17 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	**रजिस्टर /अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
3	क्लासीफाइड अबस्ट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)

4	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a & b)

18 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 विविध

(क) हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय-व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि केवल प्राप्त अनुदानों के लेखांकन हेतु केवल मात्र खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण किया गया था, जोकि अधूरा था। अत: नियम 29(1) के अनुसार समस्त आय- व्यय की खाता बहियों का पूर्ण निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत गलोट द्वारा आय के संग्रह के लिए रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। इसके अतिरिकत रोकड़ बही में रसीद बुकों को आरोही क्रम में दर्ज नहीं किया गया था तथा एक समय में दो-दो रसीद बुकों का प्रयोग किया गया था , जिस बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। अत: रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का शीघ्र निर्माण करते हुये रोकड़ बही में रसीद बुकों को आरोही क्रम दर्ज किया जाये तथा एक समय में केवल एक

ही रसीद बुक का प्रयोग किया जाये ताकि किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना न रहे। इस संदर्भ में अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत गलोट द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा 'निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर (सीमेंट , बजरी, रेट, स्टील) तथा 'निर्माण कार्यों का तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर " का रख-रखाव सही प्रकार से नहीं किया गया था तथा इसमे आधी-अधूरी प्रविष्टियाँ ही दर्ज की गयी थीं जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं उक्त अभिलेख का सही रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी भी वित्तीय अनियमितता की संभावना न रहे। इस संदर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

20 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है , लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

21 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 25/2016–खण्ड–1–173–176 दिनाँकः12.01.2017 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत गलोट,, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके

सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, तहसील शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.